न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री किशन गोपल शर्मा निवासी आमेसर, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– /2025 आन लाईन अपील संख्या 249583416414543

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27–03–2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आन लाईन आवेदन–पत्र दिनांक 27.08.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना को अदेय बता देने से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा आवेदित सूचना एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी से प्राप्त सूचना अनुसार अपीलार्थी प्रार्थर्भ द्वारा जो सूचना अपने आवेदन के माध्यम से चाही गई है, वह सूचना प्रश्नात्मक होने से देय नहीं है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अपने प्रश्न संख्या –1 में अंकित किया कि अंटाली को तहसील बनाये जाने के सभी कारणों की सूची इसी प्रकार प्रश्न संख्या–2 में ......तो फिर उसको दूर स्थित अंटाली में किस आधार पर जोड़ा गया इसका पूरा विवरण । उक्त दोनों सूचनाएं प्रश्नात्मक होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी अपीलाथ्री के आवेदन दिनांक 27–08–24 से वांछित सूचनाओं को प्रश्नात्मक होना मानकर जो सूचना प्रार्थी अपीलाथ्री को प्रेषित की की गई, हमारे विनम्र मतानुसार सही एवं विधि सम्मत है। 4. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी प्रार्थी को जरिये पत्रांक 69971–72 दिनांक 30–08–2024 से सूचित कर दिया गया है। 5. लिहाजा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद के आधार पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा लिया गय निर्णय सही एवं विधि सम्मत है। 6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी, खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)